इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी 2025—माघ 18, शक 1946

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, नगरपालिका परिषद् शिवपुरी, मध्यप्रदेश

शिवपुरी, दिनांक 7 जनवरी 2025

क्र. न.पा.प.62—2024.— माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की रिट याचिका क्र. 7275/2019 में पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2024, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ 07—19/2019/आ—प्र./1, दिनांक 14 फरवरी 2024, मध्यप्रदेश शासन. नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक—676—16017123—2023—अठारह—1, दिनांक 16 फरवरी 2023, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—स्था—एक—201—प्र.शि.—2024—3780 भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2024 तथा मध्यप्रदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन के पत्र क्रमांक एफ 8—2—2013—आ.प्र.—एक, भोपाल, दिनांक 04 जनवरी 2024 एवं अन्य पत्रों में दिये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत् दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद/पदों की पूर्ती वॉक—इन—इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है. इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यार्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन—पत्र भर कर दिनांक 11 फरवरी 2025 कार्यालयीन समय 5.30 सांयकाल तक आवेदन—पत्र प्रेषित करें. आवेदन—पत्र का प्रारूप नगर पालिका परिषद् शिवपुरी की वेब साईट (MPURBAN.GOV.IN) (निकाय मुख्यालय) से प्राप्त कर नियत तिथि/समय तक नगर पालिका परिषद् शिवपुरी कोर्ट रोड पोलो ग्राउण्ड के सामने, स्वयं या पोस्ट के द्वारा जमा किये जा सकते हैं. निर्धारित समयावधि में आवेदन—पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा. डाक के माध्यम से विलंब प्राप्त आवेदन—पत्र के लिए निकाय/कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा. दिव्यांजनों हेतु आरक्षित पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक—इन—इंटरव्यू के लिए पद का वेतनमान निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार हैं :—

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				कुल	निर्धारित योग्यता	वॉक इंटर व्यू हेत निर्धारित तिथि
				दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 %) चिन्हांकित पद	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%) चिन्हांकित पद	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%) चिन्हांकित पद	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगज, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता चिन्हांकित (1.5%) चिन्हांकित पद			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	सहायक ग्रेड–3	तृतीय	19500 एवं नियमानुसार भत्ते	—	1	1	—	2	हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण तथा विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधी प्रमाण पत्र हो साथ ही कम्प्यूटर पर 20 शब्द प्रतिमिनट की गति से शासन द्वारा अधिकत संस्था से प्राप्त हिंदी में टायपिंग की दक्षता प्रमाण पत्र हो.	
2	सहायक राजस्व निरीक्षक	तृतीय	19500 एवं नियमानुसार भत्ते	1	—	—	—	1	हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण तथा विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधी प्रमाण पत्र हो साथ ही कम्प्यूटर पर 20 शब्द प्रतिमिनट की गति से शासन द्वारा अधिकृत संस्था से प्राप्त हिंदी में टायपिंग की दक्षता प्रमाण पत्र हो.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	भृत्य	चतुर्थ		—	1	1	1	3	8वीं कक्षा उत्तीर्ण	
4	जनसेवक	चतुर्थ	8000 तथा कलेक्टर दर जो भी अधिकतम हो	3	3	4	4	14	5वीं कक्षा उत्तीर्ण	

इशांक धाकड़, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 5 फरवरी 2025

क्र. 158—डूडा—2025.— एतद्द्वारा, श्री हरिनायारण पटैल, उपाध्यक्ष नगरपालिका परिषद्, गढ़ाकोटा, जिला सागर, मध्यप्रदेश द्वारा स्वेच्छिक रूप से अपने पद से दिनांक 28 जनवरी 2025 को त्यागपत्र दिया गया है, त्यागपत्र की वास्तविकता के बारे में समाधान हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 (2) उपधारा (एक) में प्रदत्त शक्तियों के तहत् श्री हरिनारायण पटैल, उपाध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, गढ़ाकोटा का त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है. तथा नगरपालिका, परिषद्, गढ़ाकोटा, जिला सागर के उपाध्यक्ष का पद रिक्त घोषित किया जाता है.

संदीप जी. आर., कलेक्टर.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.